तालाब की जमीन पर बना लिए शोरूम और मकान, अतिक्रमण पर के.डी.ए. का पीला पंजा चला

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण का पीला पंजा एक बार फिर गुरुवार को थेकड़ा इलाके में चला। जिसमें कंसुआ और थेकड़ा एरिया के शिवसागर तालाब पर बरसों से जमे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां करीब 100 से ज्यादा भूखंड काट दिए गए जिनमें फार्म हाउस, शोरूम, गोदाम व मकान बन गए थे। यह 28 हेक्टेयर का गैर मुमकिन तालाब के नाम दर्ज भूमि का हिस्सा है।

कार्रवाई में बड़ी संख्या में बुलडोजर और अन्य मशीनरी लेकर प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। कुछ जगह पर लोगों ने विरोध भी किया लेकिन पुलिसकर्मियों ने संभाल लिया। कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बाउंड्री वॉल किए गए प्लाट और मकानों को तोड़ा गया। इनमें कुछ बड़ी दुकानें भी शामिल हैं। जिनमें शोरूम या फिर गोदाम संचालित किया जा रहे थे। इस कार्रवाई के लिए केडीए की उपसचिव मालविका त्यागी, तहसीलदार हिम्मत सिंह और डीएसपी रुद्र प्रताप शर्मा मय अधिकारी जाप्ते के पहुंचे। एहतियातन तौर पर तीन थानों का जाप्ता और पांच थाना अधिकारी

कोटा विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाये हैं।

मौके पर थे। पुलिस ने इस पूरे एरिया पर ड्रोन सर्विलांस से नजर बनाए रखी। इसके अलावा 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे-चप्पे पर तैनात थे। लोगों को घरों से बाहर निकालने के बाद कार्रवाई की गई। तहसीलदार हिम्मत सिंह का कहना है कि पहले भी यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी लेकिन ये फिर आकर जम गए। ऐसे में इन्हें हटाया जा रहा है। जिन मकानों में ताला लगा हुआ है उन्हें भी तोड़कर ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही जिन मकानों में लोग रह रहे हैं उनसे खाली कराया जा रहा है। सामान निकालने का समय भी दिया गया। पहले भी कोटा विकास प्राधिकरण ने यहां पर कार्रवाई की थी लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होने पर एक बार फिर अतिक्रमी आकर जम गए थे। कुछ लोगों ने यहां पर गोदाम और बड़े-बड़े शोरूम और मकान बना

- **कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन भारी जाप्ते के चलते स्थिति को संभाल लिया गया**

लिए। यहां पर प्लाट की साईज भी 30 गुना 60 के आसपास की है। काफी बड़ी तादात में लोग यहां रह रहे हैं। थेकड़ा शिवसागर के तालाब को पाट कर कॉलोनी काटी गई। साथ ही कॉलोनाईजर लोगों को इन मकान व प्लॉट को बेचकर चले गए। लंबे समय से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग चल रही थी और किसी को देखते हुए गुरुवार को कोटा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई की सूचना किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। ऐसे में अतिक्रमी भी अचानक से हुई इस कार्रवाई से सकते में आ गए। साथ ही अपने सामानों को भी नहीं निकाल पाए थे। ऐसे में जब अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और भारी जाप्ते के सामने उनकी एक नहीं चली, तो वह अपने सामानों को बाहर निकालने की गुहार करते रहे। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने सामान बाहर निकाल लिया था। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मकान किराए पर लिए हुए हैं। उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है। सामान निकालने के बाद मकानों को तोड़ा गया।

इस एरिया में मकान बनाने वाले अधिकांश लोगों ने कॉलोनाईजर से ही भूखंड या मकान लिया है। क्षेत्र में रहने वाले विपिन का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए देखकर यहां पर भूखंड खरीदा और उसके बाद मकान बना लिया। उन्हें इस संबंध में जानकारी भी नहीं थी। अब कॉलोनाईजर के पास कोई जवाब नहीं है। उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता।

विपिन का कहना है कि पास में बस्ती थी और इसीलिए उन्होंने यह भूखंड खरीद लिया था। कार्रवाई के दौरान पूरे एरिया को सील कर दिया गया ताकि अनावश्यक भीड़ और उपद्रव जैसी स्थिति नहीं हो। कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध के लिए पत्थर भी उठा लिया थे लेकिन पुलिस के भारी जाप्ते ने उन्हें समय रहते ही रोक लिया।

मंदिर की दानपेटी से नकदी चोरी का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कैथून पुलिस टीम ने इलाके के राजपुरा के हनुमान मंदिर की दानपेटी से नकदी चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से पुलिस ने 40 हजार की नकदी एवं दानपेटी तोड़ने के औजारों को भी बरामद किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 3 फरवरी को राजपुरा निवासी मंदिर के पंडित ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि गांव राजपुरा में स्थित हनुमान मंदिर की दानपेटी तोड़कर कोई अज्ञात दान पेटी में रखे करीब 30 से 35 हजार नकदी को चोरी करके ले गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी की तलाश के लिये पुलिस उप अधीक्षक राजेश ढाका के सुपरविजन में कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गठित टीम ने मामले में अनुसंधान एवं कार्यवाही करते हुए मंदिर की दानपेटी से नकदी चोरी के मामले में राजपुरा निवासी आयुष कुमार नागर (20) को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपी के पास से 40 हजार नकद एवं दानपेटी तोड़ने के औजारों को बरामद किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

56 की हीमोग्लोबिन व 67 ने बीपी जांच कराई

- **समाज के प्रति जागरूकता और मानवीय संवेदना का सशक्त संदेश दिया**
- **25 ने नियमित रक्तदान का संकल्प**

कोटा, (निसं)। लाल रेडीमेड गुमानपुरा, होटल आनंद एवं लायंस क्लब कोटा टेक्नो के संयुक्त सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर ने समाज के प्रति जागरूकता और मानवीय संवेदना का सशक्त संदेश दिया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच के साथ रक्तदान के महत्व को समझते हुए सहभागिता निभाई।

शिविर के मुख्य अतिथि राजस्थान होटल फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में लायंस क्लब कोटा टेक्नो के पूर्व कोषाध्यक्ष विनोद गौतम, अंकुर गुप्ता (संस्कृति) तथा निदेशक भुवनेश गुप्ता उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जितेन्द्र वाधवानी एवं उनकी पत्नी कंचन वाधवानी ने स्वयं रक्तदान कर किया, जिससे उपस्थित जनसमूह में प्रेरणा का संचार हुआ।

शिविर संयोजक अभिषेक वाधवानी एवं ट्विंकल वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में कुल 25 लोगों ने रक्तदान किया। 56 लोगों की हीमोग्लोबिन जांच, 24 की शुगर जांच, 67 लोगों ने बीपी जांच कराई, साथ ही वजन जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह में रक्तदान करने की शपथ ली, जिससे निरंतर जीवनरक्षा का संकल्प और अधिक मजबूत हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल चौधरी एवं इम्तियाज सहित अन्य सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अशोक माहेश्वरी ने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक तीन माह में रक्तदान करना चाहिए। भुवनेश गुप्ता ने कहा रक्त की हर बूंद में जिन्दगी धड़कती रहती हैं, सेवा, संवेदना और संकल्प का भाव ही रक्तदान का संदेश देता हैं। सभी ने रक्तदाताओं व सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प दोहराया।

जिला कलेक्टर ने कोटा सरस डेयरी का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को कोटा-बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (कोटा सरस डेयरी) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेयरी परिसर की स्वच्छता, दुग्ध प्रसंस्करण प्रणाली और उत्पादों की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की तथा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के समय कोटा सरस डेयरी के चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ एवं डेयरी प्रबंधक दिलखुश मीणा उपस्थित रहे।

चेयरमैन राठौड़ ने जिला कलेक्टर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा उन्हें डेयरी प्लांट का भ्रमण कराया। इस दौरान दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही घी, छाछ, लस्सी सहित अन्य सरस उत्पादों की गुणवत्ता व मानकों से अवगत कराया गया। चेयरमैन राठौड़ ने बताया कि नकली एवं मिलावटी घी की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरस डेयरी द्वारा 200 एमएल घी पैक पर क्यूआर कोड आधारित उत्पाद लॉन्च किया गया है, जिससे उपभोक्ता उत्पाद की शुद्धता एवं प्रामाणिकता की तुरंत पुष्टि कर सकें। राठौड़ ने कहा कि सरस डेयरी उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने 200 एमएल से कम क्षमता वाले घी पैक पर भी क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन राठौड़ ने जनता की सुविधाओ में वृद्धि करते हुए नए बूथों की एनओसी कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया जिससे शहर में सरस दूध की उपलबधता बढ़े।

उन्होंने डेयरी बूथ संचालकों की समस्याओं की ओर भी जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करते उन्होंने मांग की कि दूध के साथ-साथ नाश्ते से जुड़ी वस्तुओं के विक्रय की अनुमति भी बूथों पर दी जाए, जिससे बूथ संचालकों की आय में वृद्धि हो सकें। जिला कलेक्टर ने इस सुझाव पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

पूर्व विधायक राजावत ने विरोध जताया

कोटा, (निसं)। जगन्नाथपुरा के समीप कच्ची बस्ती मामले में आक्रोश के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता व बस्ती वाले पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के साथ मौके पर पहुंच गए। राजावत ने बस्तीवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें 20 साल पहले की वह घटना आज भी याद हैं जब कोटा से बांरा शिवपुरी जाने वाला यह मार्ग चार लेन का बन रहा था।

उस समय भी बेघर हुए जगन्नाथपुरा के लोग उनके पास आ गए और कहने लगे कि अब हम कहा जाएंगे तब मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी स्थिति से अवगत करवाया तो उन्होंनें नेशनल हाईवे के अधिकारियों को साफ कहा कि पहले इनका पुर्नवास किया जाए तब अधिकारी ढीले पड़ गए और उन्होंनें जय भवानी कॉलोनी व मार्केट के लिए जगह दी इसके बदले मे राजावत ने लोगों को कहा कि इस बस्ती को बचाने के लिए मैनें तुमसे किसी प्रकार का कोई पैसा लिया क्या तब लोगों ने साफ इनकार कर दिया तब जाकर यह बस्ती और कॉलोनी आज यथावत् हैं। यह घटना याद दिलवाते हुए उन्होंने

कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत बस्तीवासियों के साथ मौके पर पहुंच गये।

कहा कि उसी घटना की पुनर्रावृत्ति अब होने लगी हैं।

जगन्नाथपुरा, दसलाना में अस्पताल बने यह निर्णय बहुत अच्छा हैं लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन लोग बेघर नहीं हो अस्पताल 1 किलोमीटर दूर हैं, 10-15 लोगों ने कुछ मकान बनाए हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाएं। लोगों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब अगर आगे भी प्रशासन कोई भी दल या बल आकर मकान तोड़ने की कार्रवाही करेगा तो इसका भी उग्र प्रदर्शन करके विरोध किया जाएगा। राजावत के साथ मौके पर पंचायत समिति सदस्य कुलदीप नागर, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता दिनेश कुमावत, हंसराज मालव, सतीश भारद्वाज, भैरूलाल मालव, रितेश नागर, नन्दबिहारी मालव, हरिओम मालव, किशन मालव, मथुरालाल मालव, रामकिशन मेम्बर आदि रहे।

चार नम्बरों पर दर्ज करा सकते हैं बिजली संबंधी शिकायतें

कोटा (निसं)। केईडीएल ने कोटा शहर के उपभोक्ताओं की विधुत संबंधी शिकायतों को तत्काल दर्ज करने की बेहतर सुविधा के लिए दो और हेल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं। इन नंबरों पर उपभोक्ता बिजली सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा कंपनी ने कॉल लाइनों की संख्या भी 50 और बढ़ाकर 250 कर दी है। इससे 250 व्यक्ति एक साथ भी कॉल करते हैं तब भी हेल्प लाइन नम्बर बिजी नहीं आएगा। सीईएससी राजस्थान के प्रवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि कंपनी ने मौजूदा हेल्पलाइन नंबर 0141-3532000 के अलावा अब दो नए हेल्प लाइन नम्बर 1912 और 18003301912 भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर उपभोक्ता सप्ताह में 24 घंटे किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन नम्बर से केईडीएल के क्षेत्र से बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज कराकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते है।

LOST & FOUND

My 3 original ₹500 stamp papers, notarized agreements, of which 2 original agreements bearing serial numbers Z657160 & Y619075 are between me and Surendra, dated 27.10.23 and 30.12.23 respectively & attested by Praveen Kumar & Kanhaiya Lal and one original agreement stamp paper AB863403 and original tehrir receipt are between me and Mahesh T. dated 20.7.23 & were attested by Notary Public Jyoti Gaud, along with my original Aadhaar card, two blank and self-signed SBI bank checks for account number 61069942438, and the original BOB bank passbook, have been lost or misplaced somewhere along the way and could not be found despite efforts. **Contact:** Nitin Saxena, s/o late A.K. Saxena, 129 Sai Villa, B. Nagar, Kota, Mobile: 7339835066

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक : एफ 11/विक्रय/2026/774 दिनांक : 02.02.2026

नाम हस्तांतरण बाबत् आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या 798, आर.के. पुरम-ए योजना का कार्यालय आदेश के पत्र क्रमांक 1635 दिनांक 01.10.2001 द्वारा श्रीमती अवन्ति बाई पत्नि श्री चन्द्र शेखर को आवंटित किया गया था। श्रीमती अवन्ति बाई की मृत्यु दिनांक 20.12.2015 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्रीमती अवन्ति बाई के विधिक वारिसान के द्वारा श्री अजय व्यास पुत्र श्री स्व. चन्द्र शेखर के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्री अजय व्यास पुत्र श्री स्व. चन्द्र शेखर के नाम हस्तांतरण चाहा गया है। अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या 798, आर.के.पुरम-ए योजना का नाम हस्तांतरण श्री अजय व्यास पुत्र श्री स्व. चन्द्र शेखर के नाम से जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

खेतों की तारबंदी के बाद फसलें हुई सुरक्षित

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे विशेष ग्राम उत्थान शिविरों में ग्रामीणों को राहत मिल रही है।

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण खुश हैं। कृषि विभाग की योजनाओं से ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। लाड़पुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काल्याखेड़ी में गुरुवार को आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में किसान दुर्गालाल के चेहरे पर खुशी थी। दुर्गालाल को राज्य सरकार की तारबंदी योजना के तहत अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करने पर 40 हजार रुपए के अनुदान की राशि मिली है। तारबंदी योजना में अनुदान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। दुर्गालाल को पहले फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए रातभर जागकर खेतों की सुरक्षा करनी पड़ती थी या खुद के पैसे खर्च कर रखवाली करवानी पड़ती थी। दुर्गालाल एवं उनकी पत्नी मानकंवर दोनों ने कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करने के बाद उनके खातेदारी के खेतों के खसरा नंबर का प्री-वेरिफिकेशन हुआ और तारबंदी योजना के तहत अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद दोनों ने अपने खातेदारी के खेतों के चारों ओर तारबंदी का कार्य करवाया। तारबंदी का कार्य पूरा होने के बाद वित्तीय स्वीकृति के आदेश जारी हुए और उन्हें सब्सिडी राशि मिली। खेत की तारबंदी होने के बाद दुर्गालाल को अब आवारा पशुओं द्वारा फसल नष्ट किए जाने और खेतों की रखवाली की चिंता नहीं करनी पड़ती उनकी फसल सुरक्षित हो गई है। उन्होंने तारबंदी योजना में अनुदान के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

दुर्गालाल को पिछले वर्ष राज्य सरकार की एक अन्य योजना रोटावेटर का भी लाभ मिल चुका है। उनके खेतों में अब पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, पराली से खाद बनाने में भी समस्या नहीं आती।

मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया

छबड़ा (निसं)। दिगंबर जैन समाज द्वारा गुरुवार को जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदमप्रभु भगवान का मोक्षकल्याणक धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मन्दिर में अभिषेक शांति धारा के बाद निर्वाण लाडू चढ़ाया एवं नित्य नियम पूजा अर्चना की। समाज अध्यक्ष प्रकाश चन्द लुहाड़िया के अनुसार रविवार को समाज द्वारा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस पर सुबह मन्दिर पर अभिषेक शांति धारा की गई तथा निर्वाण कांड पड़कर निर्वाण लाडू चढ़ाया। इसके बाद हम देव शास्त्र गुरु आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी पदमप्रभु भगवान सहित अन्य, नित्य, नियम की पूजा अर्चना की गई एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभी धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने पूरी धार्मिक भावना से भाग लिया।

'पानी प्रकृति की धरोहर, व्यर्थ ना बहायें'

बूंदी (निसं)। शहर में नई पेयजल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत शहर के वार्ड संख्या 32 इमाम चौक तेली पाड़ा में सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर परियोजना के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कैप-आरयूआईडीपी के सचिन मुदगल ने आमजन को नई जलप्रदाय योजना से होने वाले लाभों के बारे मे जानकारी देते हुए कहा कि नई जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी मीटरयुक्त, पर्याप्त एवं पूर्ण प्रेशर के साथ मिलेगा और आमजन से अपील कि पानी को किसी भी तरह बर्बाद नहीं करें, आवश्कतानुसार ही जल का उपयोग करें। पानी की एक-एक बून्द बचाए आज की बचत कल का भविष्य है जल ही जीवन है। जल संरक्षण करना भविष्य के लिए बेहद जरूरी है जीवन जीने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है पानी की जरूरत हमारे जीवन भर होती है। पानी प्रकृति का दिया हुआ उपहार है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए।

इसी क्रम में उन्होंने आमजन से अपील करी कि जिनके पास वैध कनेक्शन नहीं है वह जलदाय विभाग से पानी का वैध कनेक्शन लेवे तथा परियोजना के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करे ताकि परियोजना कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। इसके साथ ही शिकायत अथवा सुझाव के संबंध मै टोल फ्री नंबर 18003099842 के बारे में अवगत कराया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3160 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-05.02.26

आवास संख्या 1-क-10 दादाबाड़ी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री गुरुमुख दास पुत्र श्री वीरूमल को किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री गुरुमुख दास पुत्र श्री वीरूमल की मृत्यु दिनांक 13.12.1981 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती दादन बाई की मृत्यु दिनांक 22.05.1998 को एवं इनके पुत्रों श्री सुदामा दास आनन्द की मृत्यु 10.11.2025 को एवं श्री किशन लाल वीरानी की मृत्यु 14.06.2018 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में शधुघ्न लाल अन्दानी पुत्र स्व. श्री गुरुमुख दास, श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री किशन लाल एवं श्री सुनील कुमार वीरानी पुत्र स्व. श्री किशन लाल द्वारा उक्त आवास निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 24.12.2025 को श्री आनन्द कुमार अन्दानी एवं मनोज कुमार अन्दानी पुत्रान स्व. श्री सुदामा दास के पक्ष में किया गया। श्री आनन्द कुमार अन्दानी एवं मनोज कुमार अन्दानी पुत्रान स्व. श्री सुदामा दास द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-क-10 दादाबाड़ी, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री आनन्द कुमार अन्दानी एवं मनोज कुमार अन्दानी पुत्रान स्व. श्री सुदामा दास के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री आनन्द कुमार अन्दानी एवं मनोज कुमार अन्दानी पुत्रान स्व. श्री सुदामा वास के नाम संयुक्त रूप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री आनन्द कुमार अन्दानी एवं मनोज कुमार अन्दानी पुत्रान स्व. श्री सुदामा दास के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3124 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-02.02.26

आवास संख्या 1-एल-31 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सत्य नारायण गौत्तम पुत्र श्री औंकार लाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सत्य नारायण गौत्तम पुत्र श्री औंकार लाल द्वारा दिनांक 31.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री सत्य नारायण गौत्तम पुत्र श्री औंकार लाल द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय-पत्र आलेखित कर दिनांक 27.09.2002 को श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता पुत्र श्री भंवरलाल को किया गया। श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता पुत्र श्री भंवरलाल का नाम विक्रय-पत्र के आधार पर दिनांक 29.01.2009 को आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री त्रिलोकचन्द गुप्ता पुत्र श्री भंवरलाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 24.11.2017 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके समस्त वारिसानों में श्रीमती अनुकृति गुप्ता पुत्री स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता एवं श्री यश गुप्ता पुत्र स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 20.12.2024 को इनकी माता श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता के पक्ष में किया गया। श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-एल-31 महावीर नगर तृतीय, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मधुबाला गुप्ता पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3162 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-05.02.26

आवास संख्या 5-जे-5 तलवण्डी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री ताराचन्द खांण्डेकर पुत्र श्री रामदयाल खांण्डेकर को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री ताराचन्द खांण्डेकर पुत्र श्री रामदयाल खांण्डेकर द्वारा दिनांक 27.03.1997 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्री ताराचन्द खांण्डेकर पुत्र श्री रामदयाल खांण्डेकर की मृत्यु दिनांक 20.04.2005 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती सावित्री खांण्डेकर की मृत्यु दिनांक 17.05.1998 को हो जाने के उपरांत इनके वारिसानों मे श्रीमती अंजू वर्मा पत्नी श्री अचल कुमार पुत्री स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर एवं श्रीमती अनिला पर्सोइया पत्नी श्री देव आनंद पसोईया पुत्री स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 03.07.2023 को श्री हिमांशु खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर एवं श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। इसी प्रकार इनके वारिसानों मे श्रीमती अन्नू खांण्डेकर पत्नी श्री कन्हैयालाल उच्चौनिया पुत्री स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 28.08.2023 को श्री हिमांशु खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर एवं श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। श्री हिमांशु खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर एवं श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर का नाम रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर दिनांक 11.03.2025 को आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया तत्पश्चात श्री हिमांशु खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का उपहार जरिये उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) आलेखित कर दिनांक 26.12.2025 को अपने भाई श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर को किया गया। श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-जे-5 तलवण्डी, कोटा को उपहार-पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर का नाम उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर का नाम उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सागर कांत खांण्डेकर पुत्र स्व. श्री ताराचन्द खांण्डेकर का नाम उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

सरकारी भवनों पर सोलर संयंत्र स्थापना की गति बढ़ाएं : जिला कलेक्टर पीयूष समारिया

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जेवीवीएनएल एवं केईडीएल अधिकारियों की बैठक में पीएम सूर्यघर योजना के तहत राजकीय भवनों एवं आवासीय भवनों के सोलराइजेशन की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने केईडीएल को शहरी क्षेत्र एवं जेवीवीएनएल को ग्रामीण क्षेत्र में छतों पर सौर संयंत्र की स्थापना के लक्ष्य तय समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को घर की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं इसके लिए पीएम सूर्यघर योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी जाए।

बैठक में अधीक्षण अभियंता कोटा वृत्त, जयपुर डिस्कॉम शिवचरण जांगिड़ ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना में जेवीएनएनएल के क्षेत्राधिकार में एक हजार चार सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केईडीएल के क्षेत्राधिकार में 3 हजार 944 में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार 6 हजार 163 के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 4 हजार 948 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

कोटा जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये हैं।

सरकारी भवनों के सोलराइजेशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 456 सरकारी भवनों का सर्वे इन्सोलेशन एनर्जी लि. द्वारा किया गया और 30 सरकारी भवनों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्र में 183 भवनों का सर्वे जीसीकेसी प्रोजेक्ट एण्ड वर्क्स द्वारा किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने सरकारी भवनों पर सोलर संयंत्र स्थापना की बहुत कम प्रगति को गंभीरता से लेते हुए गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

समारिया ने बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता कोटा वृत्त, जयपुर डिस्कॉम ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम बनाने के लिए कनवास का चयन किया गया है। इसमें दो मेगावाट क्षमता के डी-सेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी।

वर्तमान में पीडीकोर द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत आदर्श सौलर ग्राम को एक करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी।

- **'आमजन को घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करें'**

उन्होंने बताया कि बजट घोषणाओं के तहत खातौली में एईएन कार्यालय का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है जबकि रानपुर में एईएन कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। अर्जुनपुरा एवं नॉर्दन बाईपास के पास 33/11 केवी के 240 जीएसएस निर्माण कार्य की बजट घोषणा में अर्जुनपुरा के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि नॉर्दन बाईपास के पास सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो गया है।

जिला कलेक्टर ने कुसुम योजना के तहत कृषि विद्युत कनेक्शन की प्रगति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जनवरी 2026 तक 111 स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। आरडीएसएस के तहत कृषि फीडर एवं अन्य फीडरों को अलग करना, 33 लाईन विभक्त करना एवं 11 केवी लाईन बिफरकेशन करना, एबी केबल डालना जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

कोटा पहुंचने पर डॉ. राजेश सागर का स्वागत

कोटा, (निसं)। इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के राष्ट्रीय सम्मेलन एपीकॉन 2026 का आयोजन पटना में हुआ जिसमें कोटा के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ.राजेश सागर को उनके द्वारा किए गए विशिष्ट और उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित एफआईसीपी फेलोशिप प्रदान की गई। यह सम्मान उनकी असाधारण विशेषज्ञता, अटूट समर्पण और मानव सेवा क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय योगदान आभार और सम्मान का प्रतीक है। डॉ.सागर का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया गया एमबीएस चिकित्सालय के डॉक्टर्स एवं स्टॉफ ने डॉ.सागर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। डॉक्टर सागर का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान और मरीजों के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके द्वारा एक ज्ञानवर्धक व प्रभावशाली व्याख्यान देश व विदेश के प्रतिनिधियों के समक्ष दिया गया। डॉ. सागर को यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा, रोगियों की उत्कृष्ट सेवा तथा आंतरिक चिकित्सा (मेडिसिन) के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन अनुभव एवं समर्पण के लिए प्रदान किया गया। उनके सम्मानित होने पर चिकित्सा जगत में हर्ष की लहर हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, सहयोगियों एवं विद्यार्थियों ने डॉ. राजेश सागर को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे संस्थान एवं क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया है।